न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुन्दर लाल बंशीवाल
आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या : 36/2026

सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 36/2026

(सी.एन.आर. संख्या– RJSM120000452026)

1. हरिकेश पुत्र श्योनारायण उम्र 30 साल, निवासी हिन्दवाड, तह. व जिला सवाईमाधोपुर।

.......प्राथी

बनाम

1. मनराज गुर्जर पुत्र देवीराम गुर्जर, उम्र 30 साल, निवासी गुर्जर मौहल्ला, हिन्दुपुरा, तह. बौलीं, जिला सवाईमाधोपुर।
(वाहन चालक ट्रेक्टर संख्या–आर.जे. 25/आर.ए. 7386)

2. अर्जुन पुत्र सोनाथ, उम्र 65 साल, निवासी गुर्जर मौहल्ला हिन्दुपुरा, तह. बौंली, जिला सवाईमाधोपुर।
(वाहन स्वामी ट्रेक्टर संख्या–आर.जे. 25/आर.ए. 7386)

.....विपक्षीगण

क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 एम.वी. एक्ट 1988

उपस्थिति :–
1- श्री गिर्राज सिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जयराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 15.07.2026**

1. प्रार्थी/आहत ने मोटर दुर्घटना में स्वयं के शरीर पर गंभीर चोटें आने से उत्पन्न हुई चोटों के बाबत् हस्तगत याचिका प्रतिकर प्राप्ति के अनुतोष बाबत इन अभिवचनों के साथ पेश की है कि दिनांक 06.07.2025 को सायंकाल करीब 3.00–4.00 बजे आवेदक, अपनी मोटरसाईकिल से धीरे धीरे शहर सवाईमाधोपुर में कार्य करके अपने गॉव हिन्दवाड जा रहा था, कुशालीपुरा में स्थित पूर्व विधायक के आवास के पास विपक्षी संख्या–1 ट्रैक्टर को तेज गति व गफलत लापरवाही व उतावलेपन से चलाता हुआ लाया और प्रार्थी की साईड में

क्रमशः

आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आवेदक के हाथ, पैर व शरीर के कई भागों में गंभीर चोटें आयी, आवेदक को तुरन्त डॉक्टर गोपाल गुप्ता प्राईवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, आहत के चोटें गंभीर होने के कारण सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती कराकर ईलाज करवाया। इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थी / आहत के भाई भागीरथ द्वारा प्रदर्श–3 पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर के यहां दर्ज करवायी थी।

2. उक्त दुर्घटना की पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0229 / 2025 अन्तर्गत धारा 281, 125 (ए) भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध करायी, जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 281, 125 (ए), 125 (बी) भारतीय न्याय संहिता व धारा 146 / 196 / 3 / 181 / 177 मोटरयान अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी / आहत की ओर से विभिन्न मदों में 28,50,000 / –रू क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को मद्वार अस्वीकार कर कथन किया गया है कि दिनांक 06. 07.2025 को समय करीब 3.00 बजे विपक्षी संख्या 2 के ट्रैक्टर मय ट्रोली को चालक विपक्षी संख्या 1 ट्रैक्टर संख्या आरजे 25 आर.ए. 7386 में गिट्टी भरकर कुशालीपुरा गया था, वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 कुशालीपुरा स्थित होटल पर पूर्व विधायक के आवास के पास ट्रैक्टर मय ट्रोली को रोड के साईड में खड़ा करके चाय पीने लग गया, आवेदक मोटरसाईकिल को शराब पीकर तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रोड़ के नीचे खड़े उक्त ट्रैक्टर मय ट्रोली के पीछे से ट्रोली से टकरा गया जिससें आवेदक के चोटें आयी है, उक्त दुर्घटना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की किसी प्रकार से कोई लापरवाही व संलिप्तता नहीं रही है, विपक्षी संख्या 1 के पास वैध व प्रभावी लाईसेंन्स था, आवेदक ने क्लेम उठाने की गरज से झूॅठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवायी है। तथाकथित दुर्घटना आहत स्वयं की लापरवाही व गलती से घटित हुई है। अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की उक्त याचिका को विरूद्ध विपक्षी संख्या–1 व 2 खारिज किया जावे।

5. प्रकरण में पक्षगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के सम्बंध में दिनांक 07.03.2026 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया दिनांक 06.07.2025 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर संख्या–आर.जे. 25 / आर.ए. 7386 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई ?

......प्रार्थी

2. आया चालक दुर्घटना के समय उक्त वाहन को वाहन स्वामी विपक्षी संख्या—2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ व उसकी सहमति या जानकारी से चला रहा था ?

.........अप्रार्थी

3. आया दुर्घटना में प्रार्थी हरिकेश के आहत होने के दावेदार दावे में न्याय सम्मत प्रकार की कितनी—कितनी राशि किस—किस विपक्षी से किस—किस प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

..........प्रार्थी

4. आया विपक्षीगण के लिखित कथन की प्रारंभिक / विशेष कथन की आपत्तियां सार्थक हैं, यदि हां तो इसका दावा याचिका पर प्रभाव क्या होगा ?

..........अप्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

6. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड. 1 के रूप में हरिकेश जो कि स्वयं आहत है, को परीक्षित करवाया गया है।

7. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेजात प्रदर्श—1 चार्जशीट, प्रदर्श—2 एफआईआर, प्रदर्श—3 तहरीर रिपोर्ट, प्रदर्श—4 फर्द डेमेज मोटरसाईकिल, प्रदर्श—5 प्रार्थी का चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श—6 एक्स रे रिपोर्ट, प्रदर्श—7 नक्शा मौका, प्रदर्श—8 फर्द जब्ती ट्रैक्टर, प्रदर्श—9 नोटिस 133 एमवीएक्ट, प्रदर्श—10 नोटिस 134 एमवीएक्ट, प्रदर्श—11 प्रार्थी का स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र, प्रदर्श—12 रैफरल टिकिट, प्रदर्श—13 डिस्चार्ज टिकिट एसएमएस अस्पताल, प्रदर्श—14 डिस्चार्ज टिकिट सामान्य चिकित्सालय, प्रदर्श—15 जॉच रिपोर्ट, प्रदर्श—16 लगायत 19 मेडिकल बिल, प्रदर्श—20 लगायत 37 प्रार्थी के ईलाज के बिल, प्रदर्श—38 ट्रैक्टर सुपुर्दगी, प्रदर्श—39 ट्रैक्टर आरसी, प्रदर्श—40 मनराज का डीएल, के रूप में प्रदर्शित करवाए गए हैं।

8. प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रकरण में सम्बद्ध वाहन ट्रैक्टर संख्या आरजे 25 आर.ए. 7386 के चालक द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्ण व लापरवाहीपूर्ण तरीके से चलाकर दुर्घटना कारित की गई तथा इस तथ्य को प्रार्थी पक्ष की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति साबित किया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना में प्रार्थी को गंभीर चोट कारित हुई है, तब प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत क्लेम याचिका स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी को वांछित क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाई जावे।

क्रमशः

10. विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बहस में कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी स्वयं ने वाहन को लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है। आवेदक शराब पीकर मोटरसाईकिल चला रहा था, आवेदक सड़क के नीचे खड़े ट्रैक्टर मय ट्रौली में पीछे से टकरा गया, दुर्घटना में अप्रार्थी पक्ष की कोई गलती नहीं है, अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की उक्त क्लेम याचिका को विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 खारिज किया जावे।

11. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री के समग्र अवलोकन के पश्चात् अधिकरण द्वारा विनिर्मित विवाद्यकों पर अधिकरण का विनिश्चय निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या–1

इस विवाद्यक का सिद्धीभार प्रार्थी पक्ष पर है। जिसके समर्थन में प्रार्थी संख्या–1 हरिकेश जो कि स्वयं आहत है, ने अपनी अभिसाक्ष्य में अभिकथन किया है कि वह आरसीसी डालनें एवं तोड़ने का कार्य करके प्रतिमाह करीब 40–50 हजार रूपये कमा लेता है, दिनांक 06.07.2025 को समय दिन के करीब 3.00–4.00 बजे की बात है वह आरसीसी का काम करके मोटरसाईकिल से सवाईमाधोपुर से अपने गॉव हिन्दवाड़ जा रहा था जब वह कुशालीपुरा में पूर्व विधायक अशोक बैरवा के मकान के पास पहुॅचा तभी एक ट्रैक्टर संख्या आर.जे. 25 आर.ए. 7386 को उसका चालक तेजगति एवं लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके टक्कर मार दी, दुर्घटना में उसके हाथ, पैर व सिर में गंभीर प्रकृति की चोटें आयी, दुर्घटनास्थल से उसे गोपाल गुप्ता के अस्पताल वहॉ से जयपुर के लिए रैफर कर दिया, जयपुर एसएमएस अस्पताल में ले जाकर उसे भर्ती करवाया वहॉ वह करीब 8 दिन भर्ती रहा एवं उसका ऑपरेशन हुआ फिर भी उसका का पैर ठीक नहीं हुआ वह दुबारा सामान्य चिकित्सालय में 4 दिन भर्ती रहा एवं दुबारा उसके पैर का ऑपरेशन हुआ, दुर्घटना की रिपोर्ट उसके भाई भागीरथ ने दर्ज करवायी थी। विपक्षीगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह मोटरसाईकिल पर अकेला ही था, दुर्घटना के समय वह ताज होटल ग्रुप में कार्य करके वापिस अपने गॉव आ रहा था, दुर्घटनास्थल के पास चाय व खाने की होटल है, ट्रैक्टर चालक ने बॉयी साईड के आगे के हिस्सें से उसके टक्कर मारी थी, यह कहना सही है कि दुर्घटनास्थल वाला मार्ग नेशनल हाईव है एवं रोड़ सीसी है, यह कहना सही है कि दुर्घटना की रिपोर्ट घटना के 15 दिन बाद दर्ज करवायी थी क्योंकि उसका भाई एवं अन्य परिवारजन उसके ईलाज में व्यस्त थे, उसके आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 03.08.1994 है। यह कहना गलत है कि वह मोटरसाईकिल को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा हो।

12. प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से गवाह एन.एड. 1 मनराज (ट्रैक्टर चालक) को परीक्षित कराया गया है, जिसने सशपथ कथनों में अभिकथन किया है कि गवाही दिनांक से करीब 8–9 माह पहले की बात है, वह सवाईमाधोपुर से ट्रैक्टर ट्रौली में बजरी भरकर बोदल जा रहा था, उसके साथ जयसिंह भी था, वे पूर्व विधायक अशोक बैरवा के मकान सामने ट्रैक्टर मय ट्रौली को कच्चे में रोड़ के नीचे खड़ा करके होटल पर चाय पीने चले गये, तभी सवाईमाधोपुर की ओर से एक मोटरसाईकिल को उसका चालक तेजगति से चलाता हुआ लाया और सड़क के नीचे कच्चे में खड़े ट्रैक्टर ट्रोली के टक्कर मार दी, दुर्घटना हरिकेश के गलती के कारण घटित हुयी थी। उक्त गवाह से आवेदकगण की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अभिकथन किया है कि उक्त प्रकरण में उसके खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुयी थी जिसमें उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश हुयी है, उसने न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश की निगरानी किसी भी न्यायालय में नहीं दी है, आगे अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि उसके ट्रैक्टर संख्या आरजे 25 आर.ए. 7386 को पुलिस थाना कोतवाली ने जब्त किया था एवं न्यायालय के आदेश पर पुलिस वालों ने ट्रैक्टर को छोड़ा था, यह कहना सही है कि प्रदर्श 10 के ए टू बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

13. प्रकरण में यद्यपि एनएड 1 के रूप में अप्रार्थी मनराज ने अपने उपर उल्लेखित कथन में, दुर्घटना के तत्समय स्वयं का होटल पर चाय पी रहे होने तथा दुर्घटनाकारित करने वाला सम्बद्व वाहन ट्रैक्टर रोड़ के नीचे कच्चे में बंद होकर खड़ा होना तथा चालक मोटरसाईकिल द्वारा मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर, खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। प्रकरण में चूंकि अप्रार्थी मनराज ने अपने उपर उल्लेखित कथन में दुर्घटना के तत्समय स्वयं का होटल पर चाय पी रहे होने का कथन किया है लेकिन इस तथ्य की संपुष्टि में दुर्घटना के तत्समय मौके पर उपस्थित किसी व्यक्ति को बतौर साक्षी अपने समर्थन में परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी ने ए.ड. 1 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में सम्बद्ध दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रैक्टर संख्या आर. जे. 25 आर.ए. 7386 के चालक द्वारा, वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए, प्रार्थी पक्ष को टक्कर मारने का स्पष्ट अभिकथन किया है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थी/आहत हरिकेश से किए गए प्रतिपरीक्षण में उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन ट्रैक्टर के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर, उसे टक्कर मारने के तथ्य का किसी भी रूप में कोई खंडन नहीं हो पाया है।

14. प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट आहत के भाई भागीरथ द्वारा मुकामी पुलिस थाने पर सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–3 दिया जाना प्रकट है तथा जिसकी अंर्तवस्तु में दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन ट्रैक्टर के चैसिस नंबर 743688 का स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं। प्रकरण में सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 पर मुकामी पुलिस थाने पर

मुकदमा पंजीबद्ध किए जाने के पश्चात्, बाद अनुसंधान प्रकरण में चालक मनराज अर्थात अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 281, 125 ए व बी भारतीय न्याय संहिता व धारा 146 / 196 / 3 / 181 / 177 मोटरयान अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया है।

15. प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाए गए सम्बद्ध नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श–7 में प्रश्नगत दुर्घटना जिस स्थान विशेष पर कारित हुई, उसे एक्स मार्क से चिन्हित किया गया है। प्रकरण में उक्त नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श 7 की अंर्तवस्तु में दुर्घटना कारित करने वाले उपर उल्लेखित वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर, प्रार्थी पक्ष को टक्कर मारकर प्रश्नगत दुर्घटना कारित किये जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया है।

16. प्रकरण में मुकामी पुलिस द्वारा अंतर्गत धारा 133 एवं 134 मोटर यान अधिनियम में दिए गए सम्बद्ध नोटिस क्रमशः प्रदर्श–9 व 10 की पुश्त पर, वाहन स्वामी / चालक के रूप में दिए गए जवाब से प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रेक्टर को मनराज अर्थात अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा चलाया जाना प्रकट है। प्रकरण में चूंकि सम्बद्ध नोटिस प्रदर्श–9 एवं 10 की पुश्त पर दिए गए जवाब के संबंध में, अप्रार्थी गण की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं किए जाने से, जवाब में उल्लेखित तथ्य अखंडनीय रह जाता है।

17. प्रकरण मे सम्बद्ध चॉक एफआईआर प्रदर्श–2 के मुताबिक प्रश्नत दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 की होना प्रकट है, प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में सम्बद्ध राजकीय अस्पताल से जारी रैफरल कार्ड प्रदर्श–12 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें दिनांक 07.07.2025 अर्थात दुर्घटना के एक दिन बाद की दिनांक होना स्पष्ट रूप से अंकित है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाए गए सम्बद्ध डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श–13 की पुश्त पर दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 होना व प्रार्थी का उपचार हेतु जयपुर स्थित सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती होना एवं प्रार्थी के चोटें सड़क दुर्घटना में आने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

18. न्यायिक दृष्टांत **[2021] 1 SCC 171,Anita Sharma and others v. The New India Assurance Co. Ltd. and others** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – In claim cases, evidence is to be tested on preponderance of probability and principles of strict rule of evidence, proving a point beyond reasonable doubt, is not available in claim cases, which are adjudged under a benevolent provision contained in Motor Vehicles Act.

19. प्रकरण में चूंकि हस्तगत क्लेम याचिका के संबंध में प्रार्थी पक्ष को सम्भावनाओं की बाहुल्यता के स्तर का सबूत ही पेश किया जाना पर्याप्त है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा चिकित्सकीय दस्तावेजात सहित प्रस्तुत आरोप पत्र तथा स्वयं आहत के रूप में मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले उपर उल्लेखित सम्बद्ध वाहन के चालक के रूप में अप्रार्थी संख्या–1 मनराज द्वारा, वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर प्रार्थी को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करते हुए उसे चोट पहुंचाने का तथ्य साबित हुआ है। तब निष्कर्षतः उपर उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

20. इस विवाद्यक को साबित करने का सिद्धिभार अप्रार्थीगण पर रखा गया है। प्रकरण में विवाद्यक संख्या एक प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित हो जाने से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रैक्टर संख्या आर.जे. 25 आर.ए. 7386 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से प्रार्थीपक्ष को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किये जाने का तथ्य साबित हुआ है। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाये गये सम्बद्ध नोटिस अन्तर्गत धारा 133/134 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श–9 व 10 की पुश्त पर वाहन स्वामी व चालक के रूप में अप्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब से यह तथ्य अपने आप में सुस्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रैक्टर संख्या आर.जे. 25 आर.ए. 7386 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हितार्थ चलाया जा रहा था। तब विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4

21. प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट, विलंब से पंजीबद्ध करवाए जाने के तथ्य बाबत् भी आपत्ति ली गई है, प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्बद्ध चाक एफआईआर प्रदर्श–2 की अंर्तवस्तु से प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 को होना तथा मुकामी पुलिस थाने पर 16 दिवस पश्चात्, दिनांक 22.07.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होना प्रकट है। तब इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना लगभग 16 दिवस के विलंब से पंजीबद्ध करवाया जाना प्रकट है। प्रकरण में चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई जाने में हुए विलंब अपने आप में प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने का आधार नहीं हो सकता है, बशर्ते अभियोगी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाए जाने में हुए विलंब के संबंध में न्यायालय को संतोषजनक व पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया जावे। प्रकरण में चूंकि प्रार्थी पक्ष द्वारा मुकामी पुलिस को दी गई सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–3 की अंर्तवस्तु में, आहत का उपचाररत होना प्रकट किया है, तब प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाए जाने में हुए 16 दिवस के

क्रमशः

विलंब बाबत् प्रार्थी पक्ष का पत्रावली पर संतोषजनक स्पष्टीकरण है। तब प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीबद्ध करवाए जाने के तथ्य बाबत उठाई गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

22. प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र पत्रावली पर प्रदर्श–39 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। जिससे प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 अर्जुन का सम्बद्ध दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पंजीबद्ध स्वामी होना स्पष्ट रूप से प्रकट है।

23. प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय दुर्घटना कारित करने वाले सम्बद्ध वाहन ट्रैक्टर चालक के पास वैध व प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं होने के तथ्य बाबत प्रकरण में मुकामी पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 चालक मनराज के विरूद्ध आरोपित अपराध में अन्य धाराओं सहित, धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम में आरोप पत्र पेश किया गया है, प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय चालक मनराज के पास कोई वैध व प्रभावी अनुज्ञा पत्र होने के तथ्य बाबत उसकी कोई प्रति न्यायालय पत्रावली पर भी नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से, चालक मनराज का लर्निंग लाईसेंस रिकॉर्ड पर प्रदर्श–40 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें लर्निंग लाईसेंस जारी होने की दिनांक 23.07.2025 अंकित है जो कि दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 के बाद की है, तब प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना के तत्समय अप्रार्थी संख्या–1 चालक मनराज के पास कोई वैध व प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं होने का तथ्य युक्तियुक्त रूप से साबित है।

24. प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से अपने अभिवचनों में अन्य जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उसके संबंध में अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तब निष्कर्षतः विवाद्यक संख्या 4 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तथा प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या – 3

प्रकरण में चूंकि विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थीगण/याचीगण के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–2 व 4 विपक्षीगण के विरूद्ध तद्नुसार विनिश्चित किया जा चुका है, तब प्रार्थीगण/याचीगण प्रकरण में विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

कमशः

25. प्रार्थी हरिकेश द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 28,50,000 / –रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाह ए.ड. 1 हरिकेश ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

26. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्शित कराए गए चिकित्सकीय दस्तावेज में सम्बद्ध प्रदर्श 5 चोट प्रतिवेदन व प्रदर्श 6 एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी / आहत हरिकेश को कुल 3 चोटें आना प्रकट है, जिनमें 2 चोटें साधारण प्रकृति की तथा शेष 1 चोट गंभीर प्रकृति की होना प्रकट होता है। ऐसे में याची हरिकेश को गंभीर चोट के मद में 10000 / –रू प्रति गंभीर चोट की दर से **10000×1 = 10,000 / –रू** दिलाया जाना न्यायसंगत पाया जाता है तथा शेष 2 साधारण प्रकृति की चोट के संबंध में प्रत्येक साधारण चोट के मद में आहत विकास को 3000 / –रू प्रति साधारण चोट की दर से **3000×2 = 6,000 / –रू** दिलाया जाना न्यायोचित है, इस प्रकार कुल चोटों के मद में आहत को **16000 / –रू** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

27. प्रार्थी की ओर से मेडिकल बिलों के मद में प्रदर्श–16 लगायत 19 मेडिकल बिल पेश हैं, जिनके खंडन में विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में उक्त बिलों के मद में कुल **2340 / –रू** आहत हरिकेश को दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

28. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से भर्ती के संबंध में भर्ती रिकॉर्ड व डिस्चार्ज टिकिट को प्रदर्श–13 व 14 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है, जिसके मुताबिक आहत हरिकेश सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर में दिनांक 16.07.2025 से 20.07.2025 व सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में दिनांक 03.12.2025 से 06.12.2025 तक कुल 9 दिवस भर्ती रहा है, ऐसे में उसके भर्ती रहने व आनुषांगिक खर्च तथा पौष्टिक आहार के पेटे 1000 / –रू प्रति दिवस की दर से 1000×9 = **9,000 / –रू** दिलवाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

29. प्रार्थी द्वारा परिवहन के व्यय के मद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में उसे इस मद में कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

30. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष स्वयं के स्थाई निशक्तता होने के तथ्य बाबत प्रदर्श–11 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है जिसका सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर के तीन सदस्य मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना प्रकट है, यद्यपि इस संबंध में उक्त प्रदर्श–11 को जारी करने वाले चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है, किन्तु प्रार्थी की साक्ष्य के खंडन में विपक्षीगण की ओर से इस संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में यदि चिकित्सक को परीक्षित नहीं भी कराया है तो भी

क्रमशः

इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाए गए सम्बद्ध चिकित्सकीय दस्तावेज चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–5 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–6 में प्रार्थी के साधारण व गंभीर चोट आना प्रकट है। प्रकरण में प्रार्थी/आहत हरिकेश ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं का ऑपरेशन होने का तथ्य प्रकट करते हुए, चोटों के कारण उसके चलने फिरने उठने बैठने में समस्या होने तथा कोई कार्य नहीं होने का अभिकथन किया है। प्रकरण में चूंकि सरकारी अस्पताल के तीन सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा, प्रार्थी हरिकेश के सम्बद्ध स्थाई निशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श–11 में 47.83 प्रतिशत की स्थाई निशक्तता होना अंकित किया है जिसे पूर्णांक में करने पर **48** प्रतिशत स्थायी निशक्तता अभिनिर्धारित की जाती है।

31. प्रार्थी की आयु के संबंध में उसकी ओर से याचिका में अपनी आयु 30 वर्ष होना अंकित किया गया है, प्रदर्श–5 चोट प्रतिवेदन में आहत की आयु 31 वर्ष होना अंकित है, इसके अतिरिक्त याचिका के साथ प्रार्थी के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 03.08. 1994 अंकित है, जिसके अनुसार दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 को आहत की आयु 30 साल 11 माह 3 दिन होती है जिसे पूर्णांक करने पर आहत की आयु 31 साल अभिनिर्धारित की जाती है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की आयु 31 होने से 31 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 16 के गुणांक से प्रतिकर राशि की गणना किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

32. आय के संबंध में याची की ओर से अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं को मकान पर आरसीसी की छत डालने का कार्य करना प्रकट करते हुए 30,000/–रू प्रतिमाह आय अर्जित करना उल्लेखित किया है, लेकिन इस तथ्य बाबत् प्रार्थी ए.ड. 1 हरिकेश की केवल मौखिक अभिसाक्ष्य है तथा वह उक्त कार्य करके 30000/–रू प्रतिमाह आय अर्जित करता हो, इस तथ्य बाबत् प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिकरण के समक्ष संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तब प्रकरण में आहत की मासिक आय 30,000/–रू होने के तथ्य बाबत् कोई ठोस व सुदृढ़ साक्ष्य नहीं होने से, आहत को एक अकुशल श्रमिक के समान कार्य करने वाला व्यक्ति माना जाना अपेक्षित है। चूंकि दुर्घटना दिनांक 06.07.2025 को एक अकुशल श्रमिक की आय दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार 7410/–रू प्रतिमाह पारिश्रमिक देय था, जिसकी 48 प्रतिशत के आधार पर पूर्णांक में 3557/–रू प्रतिमाह प्रार्थी को आय की क्षति होने की संभावना मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

33. वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता की आयु पूर्णांक में 31 वर्ष अभिनिर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 3557×12×16 =**6,82,944/–रू** याचिकाकर्ता को आय के नुकसान के मद में विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

क्रमशः

34. इसके अतिरिक्त आहत हरिकेश को दुर्घटना में आई चोटों के कारण काफी पीडा, कष्ट एवं वेदना का सामना करना पड़ा ऐसे में उसके द्वारा भुगती गई पीडा, कष्ट एवं वेदना के मद में आहत को **25000/–** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

35. इस प्रकार याची हरिकेश मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल **16,000+2340+9,000+6,82,944+25,000 = 7,35,284/–रू (अक्षरेः सात लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी रूपये मात्र)** प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>अनुतोष</u> :–

36. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी हरिकेश दुर्घटना में आई चोटों के प्रतिकर स्वरूप अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक्तः **7,35,284/–रू (अक्षरेः सात लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी रूपये मात्र)** तथा उक्त राशि पर क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 17.11.2025 से अदायगी होने तक अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

पंचाट

37. प्रार्थी हरिकेश के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथकतः **7,35,284/–रू (अक्षरेः सात लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी रूपये मात्र)** का पंचाट पारित किया जाता है। चूंकि प्रार्थी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में कोई राशि नहीं दिलाई गई है, अतः प्रार्थी हरिकेश कुल राशि–**7,35,284/–रू (अक्षरेः सात लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी रूपये मात्र)** पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 17.11.2025 से अदायगी होने तक की अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

38. क्लेम याचिका में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

39. विपक्षीगण उपरोक्त अवार्डशुदा राशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा–मानटाउन, सवाईमाधोपुर के खाता संख्या–17272421000086 आई.एफ.एस.सी. कोड–PUNB0172710 में जरिए नेफ्ट जमा करवाया जाकर अंदर 15 दिवस न्यायाधिकरण को सूचना प्रेषित करेंगे, उपरोक्तानुसार विपक्षीगण द्वारा राशि न्यायाधिकरण के खाते में जमा होने पर प्रार्थीगण को राष्ट्रीयकृत बैंक के मार्फत् निम्न प्रकार भुगतान की जावे।

निर्णय दिनांक 15.07.2026

क्र.सं.	नाम प्रार्थी/प्रार्थीगण	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	हरिकेश पुत्र श्योनारायण, उम्र 30 साल, निवासी हिन्दवाड, तह. व जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।	2,85,284/–रू व कुल अवार्ड राशि पर देय ब्याज	1,50,000/– 1,50,000/– 1,50,000/–	1 साल 2 साल 3 साल

40. एफ.डी.आर. पर देय त्रैमासिक ब्याज संबंधित प्रार्थी के बचत खाते में देय होगा, प्रार्थी के सावधि खातों पर नोट अंकित किया जावे कि अधिकरण की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का ऋण एवं अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
सवाई माधोपुर।

41. निर्णय आज दिनांक 15.07.2026 को विवृत न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
सवाई माधोपुर।